

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2015

का0आ0 2663 (अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 है ।  
(2) ये 1 अक्टूबर, 2015 को प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 29ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"29ग. कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा- (1) धारा 197क की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन घोषणा प्ररूप सं0 15छ में और धारा 197क की उपधारा (1ग) के अधीन घोषणा प्ररूप सं0 15ज में होगी ।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति में दी जाएगी, अर्थात् :-

(क) कागज पत्र में ;

(ख) उपनियम (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में ।

- (3) धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट स्वरूप के किसी आय के संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपनियम (7) के अधीन प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान क्रमशः प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज में उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक घोषणा के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियां नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के उपबंधों के अनुसार उक्त तिमाही के कर की कटौती के विवरण में प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों से अंतर्विष्ट नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के उपबंधों के अनुसार, इस तथ्य पर विचार किए बिना, कि उक्त तिमाही में किसी कर की कटौती नहीं की गई है, नियम 31क में निर्दिष्ट कर की कटौती का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों के अध्याधीन आयकर प्राधिकारी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसने उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त हुई है, शेष 7 वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से उपनियम (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार अधिनियम के अधीन सत्यापन या किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करनी या उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(7) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) आयकर प्राधिकारी को घोषणा प्रस्तुत करने, उसके सत्यापन, विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन या उपलब्ध करवाने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों के अनुसार घोषणा की विशिष्टियों को प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(8) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी गई घोषणा की सूचना, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिससे धारा 197क की उपधारा (1ग) के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन या उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई घोषणा करने वाले व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ है, उपलब्ध करवाएगा ।”।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट-II में प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 15छ

[धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) और नियम 29ग देखें]

कर की कटौती के बिना कतिपय आयों का दावा करने वाले किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा (जो कंपनी या फर्म न हो) की जाने वाली धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) के अधीन घोषणा।

भाग-1

|                                                                                                              |                                                                                                      |                                                            |                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.निर्धारिती(घोषणाकर्ता का नाम)                                                                              |                                                                                                      | 2. निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्यांक <sup>1</sup>         |                                      |                   |
| 3 प्रास्थिति <sup>2</sup>                                                                                    | 4. पूर्व वर्ष (पू.व.) <sup>3</sup>                                                                   |                                                            | 5. आवासीय प्रास्थिति <sup>4</sup>    |                   |
| 6. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या                                                                                  | 7. परिसर का नाम                                                                                      | 8. मार्ग/गली/लेन                                           |                                      | 9.क्षेत्र/अवस्थान |
| 10. नगर/शहर/जिला                                                                                             | 11. राज्य                                                                                            | 12. पिन                                                    | 13. ई-मेल                            |                   |
| 14. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या                                                            | 15. (क) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण हुआ है <sup>5</sup> : हां -- नहीं....               |                                                            |                                      |                   |
| 16.अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है                                                                      | 17.पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 16 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है <sup>6</sup> |                                                            |                                      |                   |
| 18. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15छ के ब्यौरे, यदि कोई हों <sup>7</sup> |                                                                                                      |                                                            |                                      |                   |
| फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या                                                                  |                                                                                                      | आय की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15छ फाइल किया गया है |                                      |                   |
| 19.आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है                                                                |                                                                                                      |                                                            |                                      |                   |
| क्रम संख्यांक                                                                                                | सुसंगत विनिधान/लेखा की पहचान संख्या आदि <sup>8</sup>                                                 | आय की प्रकृति                                              | वह धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य है | आय की रकम         |
|                                                                                                              |                                                                                                      |                                                            |                                      |                   |

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर<sup>9</sup>

घोषणा/सत्यापन<sup>10</sup>

\*मैं/हम .....यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि \*मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है। \*मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हम प्ररूप में निर्दिष्ट आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है।

\*मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय पर कर, स्तंभ 16\* में निर्दिष्ट \*आय/ आयों सहित, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 18 में निर्दिष्ट \*आय/आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष..... से सुसंगत..... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा। \*मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि \*मेरी/हमारी स्तंभ 16 में निर्दिष्ट \*आय/आयों और निर्धारण वर्ष.....को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए स्तंभ 18 में

निर्दिष्ट \*आय/आयों की कुल रकम उस अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है से अधिक नहीं होगी ।

स्थान:.....

तारीख:.....

.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर<sup>9</sup>

## भाग 2

[भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए]

|                                                   |                                                  |                                                                      |                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम     |                                                  | 2.विशिष्ट पहचान संख्या <sup>11</sup>                                 |                                               |
| 3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पैन     |                                                  | 4. पूरा पता                                                          | 5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन |
| 6. ई-मेल                                          | 7. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या |                                                                      | 8. संदत्त आय की रकम <sup>12</sup>             |
| 9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/वर्ष) |                                                  | 10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया/उसे जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष) |                                               |

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थान:..... | .....                                                                                  |
| तारीख:..... | भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर |

\*जो लागू न हो उसे काट दें ।

<sup>1</sup>धारा 206कक (2) के उपबंधों के अनुसार, धारा 197क(1)या197क(1क) के अधीन घोषणा तब अविधिमान्य होगी जब घोषणाकर्ता अपना विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

<sup>2</sup>घोषणा किसी व्यक्ति द्वारा धारा 197क(1) के अधीन और व्यक्ति (किसी कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा 197क(1क) के अधीन प्रस्तुत की जा सकती है ।

<sup>3</sup>वह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है ।

<sup>4</sup>कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार आवासीय प्रास्थिति का उल्लेख करें ।

<sup>5</sup>यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है, से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया "हां" का उल्लेख करें ।

<sup>6</sup>कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है, की कुल अनुमानित आय की रकम का, जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी है जिसके लिए घोषणा की गई है, का उल्लेख करें ।

<sup>7</sup>यदि कोई घोषणा (घोषणाएं) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15छ में फाइल की जाती है (हैं) तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा (घोषणाएं) फाइल की गई है (हैं), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या का उल्लेख करें ।

<sup>8</sup>शेयरों, सावधि जमा का खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत स्कीमों, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न संख्या का उल्लेख करें ।

<sup>9</sup>उस हैसियत का उल्लेख करें जिसमें हिंदू अविभक्त कुटुंब, एओपी आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की जाती है ।

<sup>10</sup>घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सभी बाबत सत्य, सही और पूर्ण है ।

घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर-

(i) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहां कठिन कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

<sup>11</sup>भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी प्ररूप संख्या 15छ में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में आयकर नियम 1962 के नियम 31क(4)(vii) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा । यदि उसी तिमाही के दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज के लिए क्रम संख्यांक की पृथक् क्रम आवंटित करें ।

12भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहां स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है, के दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने के लिए संभाव्यताया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यता ऐसी आय का योग उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है ।

पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 16 या 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई, यथास्थिति, आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करे ।

कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक की हो धारा 197क(1ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा

|                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                          |                                                               |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 1. निर्धारिती (घोषणाकर्ता) का नाम                                                                                                                                                          |                                                      | 2. निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्यांक <sup>1</sup>                                       |                                                               | 3. जन्मतिथि <sup>2</sup> (दिदि/मम/वववव) |  |
| 4. पूर्व वर्ष (पू.व.) <sup>3</sup> जिसके लिए घोषणा की जा रही है)                                                                                                                           |                                                      | 5. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या                                                              |                                                               | 6. परिसर का नाम                         |  |
| 7. मार्ग/गली/लेन                                                                                                                                                                           | 8. क्षेत्र/अवस्थान                                   | 9. नगर/शहर/जिला                                                                          | 10. राज्य                                                     |                                         |  |
| 11. पिन                                                                                                                                                                                    | 12. ई-मेल                                            | 13. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या                                        |                                                               |                                         |  |
| 14 (a) (क) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण हुआ है <sup>5</sup> :                      हां ..... नहीं .....<br>(b) यदि हां तो अंतिम निर्धारण वर्ष जिसके लिए निर्धारण किया गया है । |                                                      |                                                                                          |                                                               |                                         |  |
| 15. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है                                                                                                                                                   |                                                      | 16. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 15 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है |                                                               |                                         |  |
| 17. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15ज के ब्यौरे, यदि कोई हों <sup>6</sup>                                                                               |                                                      |                                                                                          |                                                               |                                         |  |
| फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15ज की कुल संख्या                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                          | आय की संकलित रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15ज फाइल किया गया है |                                         |  |
| 18. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                          |                                                               |                                         |  |
| क्रम संख्यांक                                                                                                                                                                              | सुसंगत विनिधान/लेखा की पहचान संख्या आदि <sup>7</sup> | आय की प्रकृति                                                                            | वह धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य है                          | आय की रकम                               |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                          |                                                               |                                         |  |

**घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर**

मैं..... यह घोषणा करता हूँ कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थातगत भारत का निवासी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है और इस प्ररूप में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मेरी कुल अनुमानित आय पर कर, स्तंभ 15\* में निर्दिष्ट \*आय/ आयों सहित और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 17 में निर्दिष्ट \*आय/आयों

की संकलित रकम निर्धारण वर्ष..... से सुसंगत ..... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा ।

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| स्थान:..... | .....                   |
| तारीख:..... | घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर |

## भाग 2

[भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए]

|                                                   |                                                                      |                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम     | 2. विशिष्ट पहचान संख्या <sup>9</sup>                                 |                                               |
| 3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पैन     | 4. पूरा पता                                                          | 5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन |
| 6. ई-मेल                                          | 7. टेलीफोन संख्या (एसटीडी के साथ) और मोबाइल संख्या                   | 8. संदत्त आय की रकम <sup>12</sup>             |
| 9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/वर्ष) | 10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया/उसे जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष) |                                               |

स्थान:.....

.....

तारीख:.....

भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें ।

<sup>1</sup>धारा 206कक (2) के उपबंधों के अनुसार, धारा 197क(1ग) के अधीन घोषणा तब अविधिमान्य होगी जब घोषणाकर्ता अपना विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

<sup>2</sup>घोषणा किसी ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा, जिसकी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, प्रस्तुत की जा सकती है ।

<sup>3</sup>वह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है ।

<sup>4</sup> यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है, से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया “हां” का उल्लेख करें ।

<sup>5</sup>कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है, की कुल अनुमानित आय की रकम का, जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी है जिसके लिए घोषणा की गई है, का उल्लेख करें ।

<sup>6</sup> यदि कोई घोषणा (घोषणाएं) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15ज में फाइल की जाती है (हैं) तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा (घोषणाएं) फाइल की गई है (हैं), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15ज की कुल संख्या का उल्लेख करें ।

<sup>7</sup> शेयरों, सावधि जमा का खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत स्कीमों, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न संख्या का उल्लेख करें।

<sup>8</sup> घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सभी बाबत सत्य, सही और पूर्ण है।

घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर-

(i) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहां कठिन कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा।

(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

<sup>9</sup>भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी प्ररूप संख्या 15ज में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में आयकर नियम 1962 के नियम 31क(4)(vii) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा। यदि उसी तिमाही के दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15ज और प्ररूप संख्या 15छ के लिए क्रम संख्यांक की पृथक् क्रम आवंटित करें।

<sup>10</sup>भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहां स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क (1ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है, के दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने के लिए संभाव्यताया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यता ऐसी आय का योग उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है। पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 15 या 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई, यथास्थिति, आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करे।

[अधिसूचना संख्या. 76/2015/F.No.133/50/2015-टीपीएल]

(आर. लक्ष्मी नारायनन)

अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.(अ) 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं. का.आ 2604 (अ) तारीख 23/09/2015 द्वारा संशोधन किए गए।